न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवा राम स्वामी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–227/2011 व 226/2011

1–सूज्या पुत्र गोमा

2– मु0 ग्यारसी पत्नि स्व0 रामदेव

3–प्रकाश

4–अर्जुन

5–हरि

6–कमला

7–नन्छी

8–आशा

9–बरजी

10–पांची

समस्त पुत्रान/पुत्रियान रामदेव समस्त जाति जाट समस्त निवासी–ग्राम रतनपुरा हरिपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

–अपीलान्टस

बनाम

1. रघुनाथ पुत्र गोमा जाति जाट निवासी–ग्राम रतनपुरा, हरिपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1–श्री देवीदयाल शर्मा अपीलांट्स की ओर से।

2–श्री लालचन्द जाट रेस्पोडेंट की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–05–03–2018

1– उक्त दोनों अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थन काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 19–12–2001 एवम निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 17–5–2011 अन्तर्गत मुकदमा नम्बर–79/2000 व 80/2002 उनवानी श्री रघुनाथ बनाम रामदेव न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर प्रस्तुत की गई है।एक ही प्रकरण से संबंधित होने के कारण निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस सख्या 1 वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा,तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 657 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 658 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 07 बिस्वा ग्राम रतनपुरा हरिपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है तथा वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 व 2 के समान हक व अधिकार की है। प्रतिवादीगण बडे भाई होने के कारण वादी के पिताजी श्री गोमा पुत्र गीधा की मृत्यु के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में भूमि प्रतिवादी सख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो गई जबकि वादी भी समान रूप से भूमि का हकदार काश्तकार है तथा तीनों भाई समान रूप से ही काबिज काश्त हैं।वादी का वादग्रस्त भूमि के हिस्से 1/3 पर जन्म से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है अतःवादी उक्त भूमि में 1/3 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है तथा राजस्व रिकार्ड में इस आशय का अमल करवाये जाने का अधिकारी है। वादी द्वारा उक्त कथन कर वादग्रस्त भूमि के 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने,वादग्रस्त भूमि का बंटवारा किये जाने तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का अनुतोष चाहा गया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19–12–2001 को वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी को वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए भूमि के विभाजन हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई तथा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 17–05–2011 द्वारा वादग्रस्त भूमि का अंतिम विभाजन किया गया जिनके विरूद्ध उक्त दोनों अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट्स द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध की गई अपील के मीमों में कथन किया गया है कि अपीलान्टस सख्या 1 एवम 2 लगायत 10 के बुजुर्ग रामदेव अनपढ व्यक्ति है तथा रेस्पोडेन्ट सख्या 1 चालाक व पढा–लिखा व्यक्ति है जिसने अपीलान्ट सख्या 1 सुज्या तथा अपीलान्ट सख्या 2 ता 10 के पिता रामदेव से ऋण दिलवाने के बहाने कुछ कागजों पर अंगूठा निशानी करवा ली।अपीलान्टस द्वारा वाद में अपनी कोई सहमति नहीं दी गई है जबकि वास्तविक यह है कि वादग्रस्त भूमि को अपीलान्ट सख्या 1 एवं अपीलान्ट सख्या 2 लगायत 10 के पिता रामदेव द्वारा स्वार्जित आय से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 7–1–1964 को प्रतिफल के बदले गोपाल सिंह पुत्र लालसिंह से क्रय की गई है। वादग्रस्त भूमि से रेस्पो सख्या 1 का कोई वास्ता नहीं रहा है। अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 19–12–2001 की अपीलान्टस को जानकारी दिनांक 2–6–2011 को हुई जब रेस्पोडेन्ट सख्या 1 अपने फोन द्वारा पटवारी हल्का से उक्त भूमि के नामान्तकरण करवाने हेतु बात कर रहा था। जानकारी प्राप्त होने पर नकल दिनांक 6–6–2011 को प्राप्त की जाकर अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम भी

प्रस्तुत किया गया है।अपीलान्टस द्वारा अपनी अपील में आधार लिये है कि रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा तथ्यों को छुपाकर तथा फर्जीतौर पर प्राप्त सहमति के आधार पर अपीलाधीन डिक्री प्राप्त की है जो मिसरिप्रेजेन्टशन की परिभाषा में आता है। अपीलाधीन निर्णय से राज्य सरकार को लाखों रूपयों की स्टाम्प डयूटी का नुकसान हुआ है।अपीलान्टस द्वारा उक्त आधारों पर निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19–12–2001 को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

4–अपीलान्टस द्वारा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 17–05–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील मीमों में आधार लिये गये है कि उक्त डिक्री मृत व्यक्ति रामदेव पुत्र गोमा के विरूद्ध पारित की गई है क्योंकि रामदेव की मृत्यु दिनांक 03–05–2011 को हो गई थी जिसकी जानकारी वादी को थी। अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय तथा अपीलान्टस को बिना सुचना दिये पारित किया गया है।अपीलान्टस द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध की गई अपील में लिये गये आधारों को भी अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17–05–2011 को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की गई।रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त बहस उभयपक्ष सुनी गई ।

6. अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी लिखित बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया तथा कथन किया गया कि निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19–12–2001 व अंतिम डिक्री दिनांक 17–05–2011 को निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वाद में दिनांक 10–7–2001 को प्रतिवादी रामदेव व सुज्या द्वारा सहमति का जवाब प्रस्तुत किया गया है तथा दिनांक 9–11–2001 को प्रतिवादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इकबालिया बयान दिया गया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति पर तीनों भाईयों का 1/3–1/3 बराबर हक व अधिकार है तथा मौके पर इसी अनुसार काबिज काश्त है तथा इसी अनुसार दावा डिक्री कर दिये जाने का निवेदन किया गया है। स्वतंत्र गवाहान द्वारा भी रामदेव व सुज्या के बयान का समर्थन किया गया है। न्यायालय द्वारा लिखित आदेशिका को सत्य माना जावेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अविभाजित हिन्दू परिवार की सम्पत्ति संयुक्त मानी जावेगी जब तक की कोई व्यक्ति उसे अन्यथा साबित न कर दे।सहमति के आधार पर पारित की गई डिक्री की अपील नहीं की जा सकती है।अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस में कथन किया गया है कि अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना–पत्र में लिखित कथन गलत एवं मनगढंत है।आदेश 19 नियम 3 सीपीसी के अनुसार शपथ–पत्र केवल निजी ज्ञान के आधार पर दिया जा सकता है जबकि अपीलान्ट ने अपने मृत पिताजी से संबंधित तथ्यों का स्वयं के द्वारा शपथ–पत्र दिया गया है। प्रार्थना–पत्र धारा 5 स्वीकार योग्य नही है तथा अपील मियाद के बिन्दू

पर तथा गुणावगुण के आधार पर भी खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत एआईआर 1982 एससी 1249,आरआरडी 1986 पेज 10,एआईआर2009 (एनओसी) 1917, एआईआर 1974 एससी 1069, आरआरटी 2016 (2) एससी 1063, आरआरटी 2013 (2) 1128 प्रस्तुत किये गये।

7. अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसपर उपलब्ध दस्तोवजात का अवलोकन किया गया।वादी रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि को पैतृक अविभाजित कृषि भूमि कथन करते हुए दावा बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है।उक्त वाद में प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 18–09–2001 को इकबालिया जवाब पेश किया गया है तथा दिनांक 9–11–2001 को अपने बयानों द्वारा वादी के वाद को सहमति प्रदान की गई है।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सहमति के आधार पर दिनांक 19–12–2001 को वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी को वादग्रस्त भूमि के 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है तथा भूमि के विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अपीलान्टस द्वारा उक्त प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील दिनांक 7–6–2011 को प्रस्तुत की गई है तथा निर्णय की जानकारी पूर्व में नहीं होना कथन करते हुए दिनांक 2–6–2011 को जानकारी होना कथन किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट सख्या 1 स्वयं तथा अपीलान्ट सख्या 1 ता 10 के पिता अधिनस्थ न्यायालय केसमक्ष उपस्थित रहे है तथा उन्हें निर्णय व डिक्री की जानकारी बखूबी रही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19–12–2001 सहमति के आधार पर पारित की गई है। इन परिस्थतियों में अपीलान्टस द्वारा जानकारी का कथन नहीं होना स्वीकार नहीं किया जा सकता है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 में वर्णित कथन सत्य नहीं होने से वह खारिज योग्य पाया जाता है। अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 19–12–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सख्या 227/2011 मियाद बाहर होने तथा सहमति के आधार पर पारित होने से गुणावगुण से भी रहित होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य है। जहॉ तक अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17–05–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सख्या 226/2011 का प्रश्न है उक्त अपील में अपीलान्टस द्वारा आधार लिया गया है कि कुर्रेजात पटवारी हल्का द्वारा बनाये गये है तथा उनकी जानकारी अपीलान्टस को नहीं दी गई है।इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया है प्रकरण में दिनांक 30–07–2007 को सर्वप्रथम कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसे तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं होने से पुनः रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है।तत्पश्चात दिनांक 12–10–2009 को पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट पत्रावली में शामिल किये गये है जिनपर भी तहसीलदार जमवारामगढ के हस्ताक्षर नहीं होने बाबत आपत्ति की गई है।पुनः दिनांक 08–11–2010 को तहसीलदार द्वारा दिनांक 27–10–2010 को

प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट को पत्रावली में सलंग्न किया गया है।उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वादी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17–05–2011 पारित की गई है। कुर्रेजात रिपोर्ट जो पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12–10–2010 को तैयार की गई है के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार जमवारामगढ के काउण्टर हस्ताक्षर किये हुए है।रिपोर्ट पर किसी पक्षकारान के हस्ताक्षर मौजूद नहीं है इसे यह स्पष्ट नहीं होता है कि कुर्रेजात रिपोर्ट पक्षकारों को सुचित कर तथा उनकी उपस्थिति में स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार की गई है।अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि प्रतिवादी रामदेव पुत्र गोमा की मृत्यु दिनांक 3–5–2011 को हो चुकी थी तथा उसके वारिसान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाकर मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की गई है। उक्त कथन के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। इस प्रकार निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 17–05–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में लिये गये आधार उचित प्रतीत होते है तथा उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सख्या 226/2011 स्वीकार योग्य पाई जाती है।

8. अतः निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19–12–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सख्या 227/2011 अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री यथावत रखे जाते है। निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 17–05–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सख्या 226/2011 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार जमवारामगढ से उभयपक्ष को सुचित कर पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों के संलग्न की जावे।

9– निर्णय आज दिनांक 05–03–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर